

आदेश की
तिथि

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर गई
कार्रवाई टिप्पणी
आदेश

अभिलेख उपस्थापित,

14/9/2020
मूल पंजी II / जमाबंदी पंजी एवं खतियान का अवलोकन किया गया।
खाता सं०...183... खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास भूमि है। नियमानुसार इस भूमि के
बंदोबस्ती के उपरांत लगान निर्धारण होने के बाद इसे बंदोबस्ती प्राप्त रैयत के नाम के साथ
पंजी II में अंकित किया जाना था परन्तु मौजा तोरपा की खाता सं० 183
की गैरमजरूआ खास भूमि को केवल बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) के नाम से अंकित
कर दिया गया है। इसे अवैध/संदिग्ध जमाबंदी नहीं माना जा सकता है।


अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा
राजस्व दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत मौजा तोरपा पर बिहार सरकार
(झारखण्ड सरकार) के नाम से कायम जमाबंदी को अवैध/संदिग्ध जमाबंदी नहीं मानते हुए
भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4h के तहत प्रारंभ की गई इस वाद की कार्यवाही बंद की
जाती है।

14/9/2020
अंचल अधिकारी
तोरपा।

जमाबंदी वाद सं० :-

प्रश्नगत भूमि मौजा दोरपा खाता सं० 183 प्लॉट सं० 144

रकबा 37.80 1.06 से संबंधित है। यह भूमि आर०एस० खतियान में गैरमजरूआ खास भूमि तथा पंजी II में बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) के नाम दर्ज पाया गया। झारखण्ड सरकार की उक्त भूमि को अवैध नहीं माना जा सकता है। अतः 4h की कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।


राजस्व कर्मचारी


अंचल निरीक्षक